रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-ए.पी.-अ.-11052021-226962 CG-AP-E-11052021-226962

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] No. 193] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 11, 2021/वैशाख 21, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, MAY 11, 2021/VAISAKHA 21, 1943

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 5 मई, 2021

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) (पहला संशोधन) विनियम. 2021

फा.सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/5/177/2021.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए के साथ पठित धारा 11 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तैयार करना) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 कहलाएँगे।
- (2) ये विनियम इन विनियमों की अधिसूचना के बाद वित्तीय वर्ष के पहले दिन से प्रवृत्त होंगे।

उद्देश्यः उस पद्धति की व्यवस्था करना जिसमें साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओँ द्वारा प्रीमियम और अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व की पहचान की जानी चाहिए।

2597 GI/2021 (1)

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 के अनुसूची ख के भाग I के पैरा 2 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"2. प्रीमियम

- (i) प्रीमियम की पहचान संविदा अवधि अथवा जोखिम की अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में की जाएगी।
- (ii) "अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम" वह प्रीमियम है जहाँ जोखिम का प्रारंभ लेखांकन अवधि से बाहर है तथा इसे चालू देयताओँ के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए।
- (iii) "अनाबंटित प्रीमियम" में प्रीमियम जमा और वह प्रीमियम शामिल है जो प्राप्त किया गया है, परंतु जिसके लिए जोखिम प्रारंभ नहीं हुआ है। इसे चालू देयताओँ के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए।

2क. अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व

अनर्जित प्रीमियम के लिए आरक्षित निधि (रिज़र्व) अंकित प्रीमियम के उस भाग को निरूपित करनेवाली राशि के रूप में निर्मित की जाएगी जो परवर्ती लेखांकन अवधियों पर निर्भर है तथा उन्हें आबंटित है। ऐसी रिज़र्वों की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

- i) मरीन हल पिछले बारह महीनों के दौरान निवल अंकित प्रीमियम का 100 प्रतिशत;
- ii) अन्य खंड पिछले बारह महीनों के दौरान निवल अंकित प्रीमियम का 50 प्रतिशत; अथवा संबंधित पालिसियों की असमाप्त अवधि पर 1/365^{वीं} पद्धित के आधार पर।

तथापि, बीमाकर्ता अनर्जित प्रीमियम रिज़र्व के प्रावधानीकरण की पद्धति का अनुसरण एक सुसंगत तरीके से करेंगे। प्रावधानीकरण की पद्धति में कोई भी परिवर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन से ही किया जा सकता है।"

डॉ. सुभाष सी. खुंटिआ, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./57/2021]

टिप्पणीः मूल विनियम अधिसूचना सं. फा. सं. भा. बी. वि. वि. प्रा./विनियम/ 03/2002 दिनांक 30 मार्च, 2002 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किये गये थे।

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 5th May, 2021

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) (First Amendment) Regulations, 2021

F. No. IRDAI / Reg / 5 / 177 / 2021 – In exercise of the powers conferred by Section 11 read with Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) (First Amendment) Regulations, 2021.
- (2) These Regulations shall be effective from the first day of the financial year after notification of these regulations.

Objective: To provide the manner in which the premium and unearned premium reserve should be recognized by insurers carrying on general insurance business.

2. For Para 2 of Part I of Schedule B of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the following shall be substituted, namely:

"2. Premium

- (i) Premium shall be recognized as income over the contract period or the period of risk, whichever is appropriate.
 - (ii) "Premium received in Advance" is the premium where the period of inception of the risk is outside the accounting period and is to be shown under current liabilities.
 - (iii) "Unallocated premium" includes premium deposit and premium which has been received but for which risk has not commenced. It is to be shown under current liabilities.

2A. Unearned Premium Reserve

A reserve for unearned premium shall be created as the amount representing that part of the premium written which is attributable to, and allocated to the succeeding accounting periods. Such Reserves shall be computed as under:

- i) Marine Hull 100 percent of Net Written Premium during the preceding twelve months;
- ii) Other Segments 50 percent of Net Written Premium during the preceding twelve months; or on the basis of 1/365th method on the unexpired period of the respective policies.

However, Insurers shall follow the method of provisioning of Unearned Premium Reserve in a consistent manner. Any change in the method of provisioning can be done only with the prior written approval of the Authority."

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./57/2021]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. F. No. IRDA/ Reg./ 03/2002 dated 30^{th} March, 2002.